जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
[वाणिज्यिक कार्यविधि निदेशालय]

JPR 5 - 06

क्रमांक:जविविनिलि/ मुख्यअभि/वाणि/सी-1/प्रे. 255 , जयपुर, दिनांक 16.9.2000

-: आदेश :-

विषय:- कृषि मीटर्ड सप्लाई के उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क वसूली के संबंध में ।

मण्डल के आदेश क्रमांक 573 दिनांक 25 मई, 2000 [कॉमर्शियल -506] के द्वारा कृषि मीटर्ड श्रेणी के उपभोक्ताओं से वास्तविक उपभोग या न्यूनतम शुल्क जो भी अधिक हो के आधार पर मासिक बिलिंग तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में न्यूनतम शुल्क का समायोजन अन्तिम रूप से किए जाने के आदेश जारी किए गए थे । इस सम्बन्ध में गहन विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि श्रेणी मीटर्ड श्रेणी [ग्रामीण व शहरी] उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क ,मण्डल की पूर्व अधिसूचना संख्या 3958 दिनांक 15.12.99 [कार्मशियल - 450] के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के अन्त में [माह मार्च में] वार्षिक आधार पर ही वसूल किया जाए। तदानुसार, कृषि मीटर्ड श्रेणी [ग्रामीण व शहरी] के उपभोक्ताओ को मासिक बिल तुरन्त प्रभाव से वास्तविक उपभोग के अनुसार दिए जावें एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में मार्च माह में न्युनतम शुल्क का निर्धारण पूर्व माहों में जारी किए गए विद्युत बिलों के समायोजन करके किया जाए ।

यह आदेश बिलिंग माह अक्टूबर ,2000 से प्रभावी होगा ।

आज्ञा से ,

[के. एच. बंगानी]
मुख्य अभियन्ता [वाणिज्य]